5-1-26	उभय पक्ष उपस्थित। वादग्रस्त रकबा पर नहरीबारा से रिसीवर निर्मुक्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश जेर इजलास सुनाया गया।

GCMS
2021/120

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:08:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी— भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 74/2021
जीसीएमएस.— 2021/120 **ता.दायराः— 29.06.2021**

—: अनवान :—

1. रामकुमार } पुत्रगण देवीलाल जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़
2. जगदीश } जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. मन्जू पत्नी रामस्वरूप पुत्र देवीलाल
4. डिम्पल पुत्री रामस्वरूप पुत्र देवीलाल } जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील
5. प्रियंका पुत्री रामस्वरूप पुत्र देवीलाल } सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. अनिल कुमार पुत्र नरेन्द्रसिंह } जाति जाट निवासी रंगमहल तहसील सूरतगढ़
7. ज्ञानप्रकाश पुत्र नरेन्द्रसिंह } जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

... प्रार्थीगण

बनाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

1. ओमप्रकाश } पुत्रगण रामनारायण जाति नाई निवासी फूसेवाल हाल आबाद
2. कालूराम } चक 3 एस.टी.आर. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. लालचन्द पुत्र मुन्शीराम जाति नाई निवासी 5 एल.एम. तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. भादरराम(फौत) पुत्र मलूराम जरिये वारिसः—
   4/1. सीताराम } पिसरान स्व. भादरराम अकवाम कुम्हार निवासीयान
   4/2. कृष्णकुमार } वार्ड न. 10 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला
   4/3. मोहनलाल } हनुमानगढ़।
   4/4. भंवरलाल
   4/5. रामेश्वरलाल
   4/6. अंगुरी देवी
5. रामनारायण पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी बड़ोपल रोड़, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
6. महावीर पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी बड़ोपल रोड़ सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
7. राधेश्याम पुत्र निहालचंद जाति बिश्नोई निवासी चक 2 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8. इन्द्रदेव पुत्र मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

....अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:08:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजवीर भादू, अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1, 2, 3
3. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4/1 ता 4/6, 7, 8
4. श्री योगेश कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी न. 5—6

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्या–74 / 2021)

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 05.01.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने इसी अदालत में जैरप्रकरण भूमि का एक घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण 1 व 2 के पिता 3 के ससुर व 4–5 के दादा देवीलाल के नाम से रोही ताखरावांली के खसरा नम्बर 17 में 134.03 बीघा बारानी मोरूसी खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उक्त रकबा मे से प्रार्थी न. 1 व 2 के पिता उक्त रकबा में से 20 बीघा भूमि दिनांक 09.07.1965 को अप्रार्थी भादरराम को बैय कर दी व 25 बीघा भूमि परमेश्वरी बेवा तुलछाराम को दान के द्वारा हस्तान्तरित कर दी। जो अब राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी न. 6–7 के नाम से हैं व 39 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी न. 1 व 2 के नाम से हैं व 39 बीघा का शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थी न. 3 के पिता मुन्शीराम को बैय कर दिया व 29.18 बीघा रकबा भूमि अप्रार्थी न. 5–6 को बैय कर दी जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में आ गये। उक्त 134.03 बीघा भूमि रोही ताखरावांली के घग्घर फल्ड के डिप्रेशन न. 11 में आ जाने से वर्ष 1967–68 में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही शुरू की गई। परन्तु प्रार्थीगण के पिता/दादा/ससुर ने वर्ष 1966 को तबादला से लेकर अपनी सागण भूमि रखने का ही लिख दिया व तबादला नहीं लिया। इस पर तत्काली अधिकारी द्वारा दिनांक 17.05.1968 को सागण भूमि रखने का अवार्ड जारी कर दिया। वर्ष 1981 में उपरवर्णित भूमि को घग्घर फल्ड कन्ट्रोल में भूमि होने से पुनः अवाप्ति की कार्यवाही शुरू की गई जिसमें अप्रार्थी न. 4 ने अपनी 20 बीघा भूमि व अप्रार्थी ने 1 ता 3 ने 39 बीघा भूमि के अपने अपने हिस्सा की भूमि का तबादला लेने की स्वीकृति देने पर 39 बीघा भूमि का तबादला चक 3 एल.एम. , 5 एल.एम. व भादरराम को 20 बीघा भूमि का तबादला 2 डी.एम. में दे दिया गया व ताखरांवाली भूमि को रकबा राज दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण 1 ता 3 के द्वारा जो 39 बीघा व 20 बीघा का तबादला चक 3 एल.एम. व 5 एल.एम. व 2 डी.एम. में लिया गया था वह भूमि उनके नाम से दर्ज हो गयी व कब्जा प्राप्त करके कालान्तर तीसरे पक्षकारान को बैय भी कर दी गई। जिस भूमि का तबादला अप्रार्थीगण द्वारा लिया गया था उस भूमि को रोही ताखरावाली के खसरा नम्बर 17/3 में रकबा राज दर्ज करने के आदेश भी भूमि अवाप्ती अधिकारी द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ को जारी कर दिये गये थे। परन्तु अप्रार्थी न. 1, 2, 4 स्वंय के नाम व अप्रार्थी न. 3 के पिता मुन्शीराम के नाम रोही ताखरांवाली के खाते में रकबा राज दर्ज नहीं होने से इन्ही के नाम रह गई जबकि इन्होने अपने अपने हिस्सा की भूमि का तबादला प्राप्त कर लेने के बाद रोही ताखरांवाली की भूमि रकबा राज के खाते में दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु अप्रार्थीगण के नाम से ही भूमि रहने से ये भूमि का दोहरा लाभ उठाते रहे। जबकि यह तबादले वाली भूमि राज के खाते में दर्ज की जानी चाहिए थी जो नहीं किये जाने से राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ हैं। प्रार्थीगण का यह भी कहना हैं कि मूल खातेदार देवील[illegible] दर्ज हैं जबकि वहां नाम देवीलाल के स्थान पर प्रार्थी न. 4–5 के पिता रा[illegible]रूप [illegible] सहबन से वहां नाम देवीलाल दर्ज हैं जो सही किया जाकर देवीलाल के [illegible] पर रामस्वरूप किया जावे। रोही ताखरांवाली के खसरा [illegible] 17 बन गया हैं। रकबा व काश्तकार वहीं हैं। इस[illegible]4 का नाम कलमजन किया जावे व इनके नाम दर्ज 59 बीघा रकबा राज के खाते [illegible] दर्ज किया जावे। चूंकि अप्रार्थी न. 1, 2 ने अपने नाम दर्ज भूमि 2.467 हैक्टेयर को दिनांक 02.06.2021 को अप्रार्थी न. 7 व 8 को बैयनामा करवा दिया गया जो कतई गलत था। रकबा राज दर्ज किया जाकर भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:08:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्या–74 / 2021)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर रिकार्ड का अवलोकन कर प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अदालत द्वारा दिनांक 29.06.2021 को एकपक्षीय आदेश जारी किया गया कि अप्रार्थी न. 1 ता 4 व 7–8 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वो रोही ताखरांवाली की जमाबंदी संवंत 2070 ता 2073 के खाता सख्या 29 के खसरा नम्बर 97 / 17 के खसरा नम्बर 29.120 हैक्टेयर रकबा में से अप्रार्थी न. 1 ,2, 4 के नाम दर्ज रकबा का रहन बेचान हस्तान्तरण ना करें व प्रार्थीगण के हिस्सा के खातेदारी रकबा में दखलन्दाजी ना करें। रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश जारी किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने का आदेश जारी किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की तरफ से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया व अप्रार्थी न. 3 के विरूद्ध हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी न. 4 का स्वर्गवास होने पर उनके स्थान पर अप्रार्थी न. 4 / 1 ता 4 / 6 जायज वारिसों को पक्षकार बनाये गये व उनका जवाब शामिल पत्रावली किया गया व अप्रार्थी न. 5 व 6 का इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया व अप्रार्थी न. 7–8 जो भूमि खरीददार हैं ने स्टे जारी करने का विरोध करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी न. 9 स्टेट की तरफ से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उभय पक्षकारान के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए बहस की गई कि अप्रार्थीगण ने अपने नाम की रोही ताखरांवाली में दर्ज खातेदारी भूमि का तबादला ले लिया व उस भूमि का कब्जा प्राप्त करके लाभ भी उठाया हैं जिसका रिकार्ड प्रस्तुत किया गया हैं जिस भूमि का तबादला ले लिया हैं उन काश्तकारो के नाम की भूमि रोही ताखरांवाली के राजस्व रिकार्ड में वह भूमि राज के खाते में दर्ज की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई जो अब दर्ज की जावे व कब्जा व हक सरकार लिया जावे।

अप्रार्थी न. 4 / 1 ता 4 / 6 व 7–8 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को ही दोहराया गया कि उनके नाम से दर्ज भूमि का कोई तबादला नहीं लिया गया हैं जिस भूमि का तबादला लिया गया था वह भूमि तबादला के समय ही राज हो गई थी अब जो भूमि उनके नाम से दर्ज हैं उस भूमि के वो वैध खातेदार काश्तकार हैं। अप्रार्थी न. 7–8 की तरफ से बहस की गई थी उनके द्वारा खातेदारी भूमि खरीद की गई थी व बैयनामा उप–पंजीयक से तस्दीकशुदा हैं व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से उनके द्वारा वैध रूप से भूमि का पूरा प्रतिफल देने के बाद की उनके नाम से इन्तकाल दर्ज नहीं हो रहा हैं इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.06.2021 को निरस्त किया जावे।

अदालत द्वारा बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात से प्रथम दृष्टया यह साबित हो[illegible] हैं कि रोही [illegible]वाली के तत्कालीन खसरा नम्बर 17 में 134.03 बीघा भूमि बतौर खातेदारी दर्ज [illegible]द में नया खसरा नम्बर 97 / 17 बन गया का रकबा घग्घर [illegible] व उसका तबादला भी भिन्न भिन्न काश्तकारो द्वारा लिया [illegible] दस्तावेजात से यह भी साबित हैं कि जिन जिन काश्तकारो [illegible] का तबादला लिया वह भूमि राजस्व रिकार्ड में उनके [illegible] उस भूमि में से बहुत सी भूमि आगे बैय भी कर दी गई। परन्तु तबादला लेने वाले काश्तकारो के नाम की भूमि जो रोही ताखरांवाली में थी वह रकबा राज के खाते में दर्ज न होकर तबादला लेने वाले काश्तकारो के नाम से ही दर्ज रह जाने से उनके द्वारा राज की भूमि को काश्त करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:08:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्या–74 / 2021)

फसली भूमि का दोहरा लाभ उठाकर राज को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया हैं व कुछ भूमि का गैरकानूनी रूप से जरिये बैयनामा हस्तान्तरण भी कर दिया गया जबकि उनको राज की भूमि को बैय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। उनके द्वारा भूमि का तबादला अन्यन्त्र भूमि का प्राप्त कर लेने के बाद इस जैर प्रकरण भूमि में उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो जाने से न तो उनको काश्त करने का कोई अधिकार था व न ही भूमि को आगे बेचान करने का अधिकार था व प्रार्थीगण को स्थगन आदेश अपने पक्ष में जारी करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। जैरप्रकरण भूमि का वाद पत्र अभी विचाराधीन है। वाद पत्र के निर्णय में स्टेट का जवाब आने व साक्ष्य होने पर सही स्थिति का पता चलेगा कि जैरप्रकरण भूमि में से किन किन काश्तकारो ने अपने अपने हिस्सा की भूमि का तबादला प्राप्त कर लेने के बाद भी रोही ताखरांवाली के मूल खाते में से उनका नाम तर्क नहीं किया गया व अपना नाम गलत रूप से रहने का वो भूमि का फसली लाभ उठा रहे हैं व भूमि आगे बैय भी कर रहे हैं जिससे सरकार के हितों को भारी क्षति पहुंच रही हैं। यह तथ्य रिकार्ड से साबित हैं कि रोही ताखरांवाली के खसरा नम्बर 17 हाल खसरा नम्बर 97 / 17 की 134.03 बीघा भूमि में से बहुत से काश्तकारो ने अपना रकबा घग्घर डोब में आने से भूमि का अन्यन्त्र तबादला प्राप्त कर उस भूमि का लाभ उठाया हैं व यहां तबादला वाली भूमि भी सहबन से उनके नाम से रहने पर उसका फसली फायदा व बेचान करके नाजायज लाभ उठा रहे हैं जो नियमों के विपरीत हैं। सरकार के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन करने व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन करने व संबंधित नियमों का भी गहनता से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त आदेश पारित किया जाता हैं कि वाद पत्र सख्या 105 / 2021 के निर्णय तक दिनांक 02.06.2021 को जारी एकपक्षीय आदेश निरस्त कर रोही ताखरांवाली की जमाबंदी संवत 2070 ता 2073 के खाता संख्या 29 / 9 के खसरा नम्बर 97 / 17 की 29.120 हैक्टेयर बारानी भूमि को वाद के निर्णय तक सभी काश्तकार अपने अपने हिस्सा की भूमि को रहन बेचान या अन्य तरीके से हस्तान्तरण नहीं करेगें व जमाबंदी में दर्ज काश्तकार ओमप्रकाश पुत्र रांमनारायण हिस्सा 2467 / 14560 कालूराम पुत्र रामनारायण हिस्सा 2467 / 14560, भादरराम पुत्र मलूराम हिस्सा 253 / 1456, राकेश सोनी पुत्र सत्यनारायण हिस्सा 3163 / 29120, [illegible] के रकबा को राजहित में कुर्क किया जाता हैं व तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि वो पटवारी हल्का को साथ लेकर रिसीवरशुदा रकबा का मय फसल कब्जा लेकर फसल काश्त की व्यवस्था करें व रिसीवर शुदा रकबा से होने वाली आय को राजकोष में जमा करवायी जाकर कार्यवाही की रिपोर्ट सात दिवस मे अदालत को अवगत करावे। फैसले की प्रति तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल [illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.202[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:08:38 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)